(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2042–पीबीआर/16 विरूद्ध तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा दिनांक 30–5–2016 को चाही गई पुनर्विलोकन की अनुमति एवं अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा दी गई पुनर्विलोकन अनुमति आदेश दिनांक 31–5–2016 प्रकरण कमांक 148/अ–6/2015–16.

1– अब्दुल शरीफ पिता अब्दुल रशीद
निवासी खन का वार्ड बुरहानपुर
2– आरिफ मीर पिता मोहम्मद मीर
निवासी आजाद नगर
तहसील व जिला बुरहानपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

शेख नदीम पिता शेख जहीर
निवासी हिन्दुस्तानी मस्जिद के बाजू में
मोमिनपुरा, बुरहानपुर जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0के0 राठौर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा चाही गई पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 30–5–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा दी गई पुनर्विलोकन अनुमति आदेश दिनांक 31–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम एमागिर्द बुरहानपुर स्थित सर्वे कमांक 377/1 एवं 381/2 प्लॉट नं. 16 पैकी रकबा 49339 वर्गफीट में से पैकी रकबा 4700 वर्गफीट बख्शीश के आधार पर नामांतरण हेतु संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 148/अ–6/2014–15 दर्ज कर दिनांक 11–12–2015 को आदेश पारित कर आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये । तदोपरान्त अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 51 सहपठित संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–5–2016 को अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–2016 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के इन्हीं आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण को उनकी सेवा खिदमत से खुश होकर मुस्लिम विधि अनुसार दो गवाहों के समक्ष जबानी बख्शीश कर प्रश्नाधीन भूमि का मालिकी कब्जा सौप दिया गया है, और तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–12–2015 को विधिवत आदेश पारित कर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है, जिसे अनावेदक द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो गया है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है, जो कि विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण प्रकरण में अनावेदक को सूचना दिये जाने के संबंध में कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है । यह भी कहा गया कि मेरे द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति कभी भी किसी व्यक्ति को बख्शीश नहीं की गई है, और न ही कोई याददाश्त मैने लिखी है । इस आधार पर कहा गया कि जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया है, उसकी उम्र का उल्लेख नहीं है, और न ही जबानी बख्शीश की याददाश्त का स्टाम्प नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि नामांतरण के प्रकरण में आवेदकगण एवं अनावेदक के हस्ताक्षर बने हैं, जबकि अनावेदक के रूप में

जो हस्ताक्षर हैं, वह मेरे नहीं हैं, क्योंकि मेरे द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण आदेश दिनांक 11–12–2015 में फेर–फार नहीं हुआ है, और न निरस्त नहीं हुआ है, केवल पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति देने में कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को शेख नदीम बताकर खड़ा किया गया है, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2016 के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण को तहसील न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा चाही गई पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 30–5–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा दी गई पुनर्विलोकन अनुमति आदेश दिनांक 31–5–2016 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर